

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 267 / 15

संस्थापन दिनांक:-20 / 05 / 15

फाईलिंग नं. 233504002322015

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. कंचन पिता घुड़या नागले, उम्र 35 वर्ष,
 निवासी पुरानी बोड़खी आमला,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
2. अजय उर्फ निलेश पिता पंजाबराव बेले, उम्र 21 वर्ष,
3. गोकुल उर्फ छुटकन पिता रामराव बेले, उम्र 23 वर्ष,
4. गगन पिता माखनलाल बेले, उम्र 23 वर्ष
 क. 2 से 4 निवासी निवासी हसलपुर आमला,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 17.07.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 457, 380 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04-05.04.2015 की दरम्यानी रात या उसके लगभग सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व फरियादी की मोबाई की दुकान बोड़खी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी हितेंद्र भाटिया के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, उसे उपहति कारित करने की या कारावास से दंडनीय कोई अन्य अपराध या चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया एवं फरियादी हितेंद्र भाटिया की मोबाईल दुकान से सेमसंग, लावा, माईक्रोमेक्स, इन्टेक्स, कार्बन, जैन, विडियोकोन, ब्लूम कंपनी के मोबाईल करीब 30 नग कीमती करीब 45,000/- रुपये के चुराये।

2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया था परंतु अभियुक्तगण पर लगे आरोप अशमनीय होने से आवेदन अस्वीकार कर अभियुक्तगण का विचारण अग्रसर किया गया।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी हितेंद्र भाटिया ने दिनांक 05.04.2015 को थाना आमला आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी कि मेन रोड बोड़खी में उसकी भाटिया एजेंसी के नाम की दुकान है। रात करीब 10:30 बजे वह दुकान बंद करके घर गया था। सुबह 09:30 जब वह दुकान खोलने गया तो दुकान का एक तरफ का ताला टूटा हुआ था। उसने दुकान के अंदर देखा तो उसकी दुकान में रखे विभिन्न कंपनी के सेमसंग, लावा, माईक्रोमेक्स, इंटेक्स, कार्बान, जैन, विडियोकोन, ब्लूम कंपनी के लगभग 30 मोबाईल, साथ में एक नीले रंग का बेग जिसमें 10 मोबाईल रखे थे तथा 20 मोबाईल रेक पर रखे थे। कोई अज्ञात चोर रात में दुकान का ताला तोड़कर चोरी कर ले गया है।

4 फरियादी दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अज्ञात के विरुद्ध अपराध क्र. 185/15 में धारा 457, 380 भा.दं.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना का नक्शा मौका बनाया गया। अभियुक्तगण का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेंडम लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त कंचन से एक मोबाईल क्लासिक कम्पनी का, एक लावा कम्पनी का, एक माईक्रोमेक्स कम्पनी का, एक काले रंग का बेग, अभियुक्त अजय उर्फ निलेश से एक मोबाईल आईबॉल कम्पनी का, एक मोबाईल कार्बन कम्पनी का, एक मोबाईल वेलकॉम कम्पनी का, अभियुक्त गोकुल उर्फ छुटकन से एक मोबाईल वेलकाम कम्पनी का, एक मोबाईल माईक्रोमेक्स कम्पनी का, एक मोबाईल कार्बन कम्पनी का तथा अभियुक्त गगन से एक मोबाईल मेसीकॉन कम्पनी का, एक मोबाईल अंदी थाईल कम्पनी का, एक मोबाईल जेन कम्पनी का जप्त कर जप्ती पत्रक बनाये गये। जप्तशुदा संपत्ति की शिनाख्ती की कार्यवाही करवायी गयी। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र निराकरण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

5 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 04-05.04.2015 की दरम्यानी रात या उसके लगभग सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व फरियादी की मोबाई की दुकान बोड़खी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी हितेंद्र भाटिया के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, उसे उपहति कारित

करने की या कारावास से दंडनीय कोई अन्य अपराध या चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया एवं फरियादी हितेंद्र भाटिया की मोबाईल दुकान से सेमसंग, लावा, माईक्रोमेक्स, इन्टेक्स, कार्बन, जैन, विडियोकोन, ब्लूम कंपनी के मोबाईल करीब 30 नग कीमती करीब 45,000/- रुपये के चुराये ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

7 हितेंद्र भाटिया (अ.सा.-1), सतीश भाटिया (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वे बोड़खी मेन रोड स्थित दुकान में रात को 10:30 बजे दुकान बंद करके चले गये थे। दूसरे दिन सुबह 09:30 बजे दुकान खोला तो एक तरफ का ताला टूटा हुआ था और दूसरा ताला लगा हुआ था। जब वे ताला खोलकर अंदर गये तो अलग-अलग कम्पनी के लगभग 30 मोबाईल एवं एक नीले रंग का बेग जिसमें लगभग 20 मोबाईल रखे थे, चोरी हो गये थे। डी.एस. पठारिया (अ.सा.-3) ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि दिनांक 05.04.2015 को फरियादी हितेंद्र भाटिया के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध उनकी दुकान से अलग-अलग कम्पनी के मोबाईल चोरी हो जाने की रिपोर्ट लेख करायी गयी थी। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से यह प्रमाणित होता है कि फरियादी हितेंद्र भाटिया की दुकान से मोबाईल फोन चोरी हुए थे।

8 ललित (अ.सा.-4) तथा अनिल (अ.सा.-5) जो कि मेमोरेंडम, जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी हैं। उपर्युक्त साक्षीगण ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है परंतु मेमोरेंडम प्रदर्श पी-5 लगायत प्रदर्श पी-8, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-9 लगायत प्रदर्श पी-12 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-13 लगायत प्रदर्श पी-16 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी उपर्युक्त साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण ने बचाव अधिवक्ता के इस सुझाव को सही होना बताया है कि पुलिस द्वारा जब कागजों पर हस्ताक्षर कराये गये थे तब कोई लिखापढ़ी नहीं हुई थी और यह भी सही होना बताया कि जिस समय उनके हस्ताक्षर लिए गये थे, अभियुक्तगण उपस्थित नहीं थे।

9 ओ.पी. यादव (अ.सा.-6) ने दिनांक 05.04.2015 को पुलिस थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क.

185/15 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया जाना तथा दिनांक 08.04.2015 को अभियुक्त अजय उर्फ नीलेश, कंचन, गोकुल उर्फ छुटकन एवं गगन के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-5 लगायत प्रदर्श पी-8 एवं अभियुक्तगण से तीन-तीन मोबाईल जप्त कर प्रदर्श पी-9 लगायत प्रदर्श पी-12 के जप्ती पत्रक तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-13 एवं प्रदर्श पी-16 का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट किया है। साक्षी ने उक्त समस्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह सही होना बताया है कि फरियादी ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट लेख करायी थी और यह भी सही होना बताया है कि जांच के दौरान उसके द्वारा दुकान के सी.सी.टी.वी. फुटेज प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया था। साक्षी ने स्वतः में यह बताया गया है कि उसे फरियादी द्वारा बताया नहीं गया था कि दुकान में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा हुआ है। साक्षी ने यह भी सही होना बताया है कि जांच के दौरान जो संपूर्ण माल चोरी गया था वह उसके द्वारा जप्त नहीं किया गया था। स्वतः में कहा है कि जितना माल मिला था उतने की जप्ती उसके द्वारा की गयी थी।

10 मेमोरेण्डम एवं जप्ती के साक्षी ललित (अ.सा.-4) एवं अनिल (अ.सा.-5) ने मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। जप्ती के प्रपत्र अपने आप में साक्ष्य नहीं है, जब तक कि उनके कथनों को प्रमाणित न करवाया जाये। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **श्रवण विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2006(2) ए.एन.जे.एम.पी. 235** अवलोकनीय है। प्रकरण में स्वयं विवेचक साक्षी ओ.पी. यादव (अ.सा.-6) ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि मेमोरेण्डम में बताये अनुसार उसके द्वारा जप्ती की कार्यवाही कर जप्ती प्रपत्र तैयार किये गये थे। इस प्रकार साक्षी के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि उसके द्वारा किस जगह पर जाकर, कहां से जप्ती की कार्यवाही की गयी थी। साक्षी के द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा क्या बयान दिये गये थे। इस प्रकार जप्ती एवं मेमोरेण्डम के कथनों को साक्षियों के साथ-साथ विवेचक साक्षी ने भी प्रमाणित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त विवेचक साक्षी ओ.पी. यादव (अ.सा.-6) ने यह बताया है कि उसके द्वारा शिनाख्ती की कार्यवाही की गयी थी परंतु किस प्रकार की गयी थी यह साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। साक्षी सतीश भाटिया (अ.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि पुलिस ने उसके सामने पहचान कार्यवाही की थी किंतु मोबाईल उसकी दुकान के नहीं थे। साक्षी ने पहचान कार्यवाही (प्रदर्श पी-3) पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी की दुकान से उनके आधिपत्य से मोबाईल फोन हटाकर चोरी की गयी।

11 प्रकरण में फरियादी हितेंद्र भाटिया (अ.सा.-1) के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट लेख करायी गयी है। घटना फरियादी की दुकान की है। जिस समय घटना घटित हुई फरियादी अपनी दुकान पर नहीं था। ऐसी स्थिति में जबकि अभियुक्तगण के द्वारा चोरी किया जाना प्रमाणित नहीं पाया गया है तब यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्तगण के द्वारा चोरी करने के आशय से रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन किया गया।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

12 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी हितेंद्र भाटिया के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, उसे उपहति कारित करने की या कारावास से दंडनीय कोई अन्य अपराध या चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया एवं फरियादी हितेंद्र भाटिया की मोबाईल दुकान से सेमसंग, लावा, माईक्रोमेक्स, इन्टेक्स, कार्बन, जैन, विडियोकोन, ब्लूम कंपनी के मोबाईल करीब 30 नग कीमती करीब 45,000/- रुपये के चुराये। फलतः अभियुक्तगण कंचन, अजय उर्फ नीलेश, गोकुल उर्फ छुटकन एवं गगन को भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 380 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13 प्रकरण में जप्तशुदा एक मोबाईल क्लासिक कम्पनी का, एक लावा कम्पनी का, दो माईक्रोमेक्स कम्पनी का, एक मोबाईल आईबॉल कम्पनी का, दो मोबाईल कार्बन कम्पनी का, दो मोबाईल वेलकॉम कम्पनी के, एक मोबाईल मेसीकॉन कम्पनी का, एक मोबाईल अंदी थाईल कम्पनी का, एक मोबाईल जेन कम्पनी का कुल 12 मोबाईल तथा एक काले रंग का बेग उसके विधिक स्वामी को अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

14 अभियुक्तग पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

